

उद्देश्य व कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक धर्म की महत्ता को समान रूप से प्रबल किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या : 28, वर्ष 2018) में अधिनियम में कतिपय कठिनाईयों के निराकरण हेतु संशोधन किया जाना आवश्यक है।

- 2— प्रस्तावित संशोधन विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2018) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2018) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), में “उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018” शब्दों और अंको के रथान पर जहाँ-जहाँ वे आते हैं, “उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2018” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (ज) के पश्चात् नये खण्ड (जज) एवं (जजज) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-
“(जज) “सामूहिक धर्म परिवर्तन” से जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तित किया जाय, अभिप्रेत है;
(जजज) “विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन” से ऐसा धर्म परिवर्तन अभिप्रेत है, जो देश की विधि के अनुसार न हो;”

धारा 3 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 3 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

“3(1) कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं करेगा/करेगी या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा/करेगी। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा/करेगी, विश्वास नहीं दिलायेगा/दिलायेगी या षड्यन्त्र नहीं करेगा/करेगी।

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा/की जायेगी, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(2) न्यायालय उक्त धर्म परिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समूचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पाँच लाख रुपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा/जायेगी वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा/होगी जो इस अधिनियम के अधीन तदनिमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

धारा 6 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 6 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

“6. विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से या विपर्ययेन एक धर्म के पुरुष द्वारा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह के पूर्व या पश्चात् या तो स्वयं का धर्म परिवर्तन करके या विवाह के पूर्व या पश्चात् महिला का धर्म परिवर्तन करके किया गया कोई विवाह, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित न हो, वहां ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि धारा 8 एवं 9 के समस्त उपबन्ध ऐसे किये जाने वाले विवाहों पर लागू होंगे।

धारा 8 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) तथा (6) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:-

“(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा/की जायेगी जो छः माह से कम

नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा:

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा/की जायेगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा:

धारा 9 का संशोधन

“पश्च धर्म परिवर्तन की घोषणा

9.

मूल अधिनियम की धारा 9 पार्श्व शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

“9(1) धर्म परिवर्तित व्यक्ति को विहित प्रपत्र में धर्म संपरिवर्तन के दिनांक से साठ दिवस के भीतर उस जिला, जिसमें धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति सामान्यतः निवास करता/करती हो, के जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा प्रेषित करनी होगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा की एक प्रति, पुष्टि किये जाने के दिनांक तक कार्यालय के सूचना—पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी।

(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित विवरण अर्थात् धर्म परिवर्तन की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी यथा धर्म परिवर्तित व्यक्ति की जन्मतिथि, स्थायी पता और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, धर्म, जिससे धर्म परिवर्तित व्यक्ति मूलतः सम्बन्धित है और धर्म, जिसमें उसने धर्म संपरिवर्तित किया हो/की हो, धर्म परिवर्तन का दिनांक तथा स्थान और धर्म परिवर्तन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रकृति।

(4) धर्म परिवर्तित व्यक्ति को घोषणा प्रेषित करने/दाखिल करने के दिनांक से 21 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा के तथ्य को, इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित करके पुष्टि करनी होगी। यदि कोई आपत्तियां संज्ञान में लायी जाती हैं तो वह उन्हें सामान्यतः अभिलिखित कर सकता है यथा नाम, आपत्तियों की विशिष्टियां और आपत्ति की प्रकृति।

(6) घोषणा की सत्यापित प्रति, पुष्टिकरण और

रजिस्टर के उद्धरण ऐसे पक्षकार जिसने घोषणा दी हो, को या उसके अनुरोध पर उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) उपधारा (1) से (4) का उल्लंघन किये जाने पर उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य हो जायेगा।"

धारा 14 का संशोधन

"अपराध का गैर जमानतीय और संज्ञेय होना

10.

मूल अधिनियम की धारा 14 पार्श्व शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

14. "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर-जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।"

व्यावृत्ति

11.

ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।